



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219651
CG-DL-E-29052020-219651

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1515]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 1515]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

का. आ. 1685(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला राजस्व अधिकारी, डीसी ऑफिस कॉम्प्लैक्स, फिरोजपुर रोड़, लुधियाना, पंजाब को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई हो करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के लिए पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम: लुधियाना

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खन्ना	कौड़ी	451	0.1616
2.			385	0.0548
3.			382/2	0.0365
4.			383	0.0042
5.			386	0.0143
6.			485	0.2414

[फा. सं. 2020/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2017]

अजय शर्मा, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2020

S.O. 1685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Ludhiana in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Revenue Officer, DC Office Complex, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor, in the district of Ludhiana in the State of Punjab.

Name of the District: Ludhiana

Serial Number	Name of Taluk	Name of Village	Khasra Number	Area (in Hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Khanna	Kauri	451	0.1616
2.			385	0.0548
3.			382/2	0.0365
4.			383	0.0042
5.			386	0.0143
6.			485	0.2414

[F. No. 2020/LML-II/12/2/EC/2017]

AJAY SHARMA, Executive Director (Land & Amenities-I)